(b) what is the present position of the above proposal; and

(c) whether there is any proposal to extend the railway line from Gorakhpur to a Nepalese town Bhairav, or any other stations in Nepal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFAR SHARIEF): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

19. UP/20. Down Dehradun Express

1005. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received representations from various social, educational and political organisations of Daurala on the Delhi-Saharanpur-Dehradun line requesting a two minute halt of 19. Up/20. Dn. Dehradun Express train at Daurala;

(b) whether it is a fact that daily hundreds of passengers are put to great inconvenience due to non-stoppage of the Dehradun Express at Daurala and the late running of 2 DSK passenger train; and

(c) if so, what steps Government are taking to meet the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFAR SHARIEF): (a) No, Sir.

(b) and (c) Daurala station is adequately served by 5 trains for going towards Saharanpur and 8 trains including two Express trains for going towards Meerut and Delhi. Provision of stoppage of additional trains at Daurala is, therefore, not justified. Punctuality of 2 DSK Delhi-Saharanpur-Kalka is being mentioned on day to day basis and corrective action taken for improving its punctuality.

चीनी मिलों पर किसानों की बकाया राशियां

1006. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**
श्री रामेश्वर सिंह :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी मिल मालिकों पर किस राज्य में किसानों का कितना बकाया कब से चला आ रहा है ;

(ख) क्या किसानों को उनकी बकाया राशियों पर ब्याज नहीं मिलना चाहिये ;

(ग) क्या उन्हें ब्याज दिया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) 1983-84 और पूर्व के मौसमों की गन्ने की देय राशि की राज्यवार स्थिति बताने वाला एक विवरण संलग्न है । केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य की देय राशि की मिलवार या तारीखवार सूचना नहीं रखी जाती है क्योंकि यह मुख्यतया राज्य सरकारों का कार्य है ।

(ख) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबन्धों के अनुसार जो चीनी उत्पादक परिदान की तारीख के 14 दिनों के अन्दर खरीदे गये गन्ने का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे 14 दिनों के बाद ऐसी विलम्ब की अवधि के लिये 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से देय राशि पर ब्याज अदा करना पड़ेगा ।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय सरकार के पास यह बताने के लिये कोई रिपोर्ट नहीं है कि किसी मिल द्वारा ब्याज का भुगतान किया गया है । यह मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जिनके पास गन्ने की देय मूल राशि और ऐसी राशि पर देय ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान कराने के लिये आवश्यक फील्ड संगठन और अपेक्षित शक्तियां हैं ?